



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 301 राँची, मंगलवार,

1 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

29 मई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-80/2015 का.--30818 (HRMS)--श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-832/03) के अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के कार्यावधि से संबंधित राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 5171/रा०, दिनांक- 16.11.2015 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक- 852/स्था०, दिनांक- 30.10.2015 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त आरोप पत्र में आपके विरुद्ध कठौतिया कोल माईन्स के अन्तर्गत 82.76 एकड़ जमीन, जो जंगल झाड़ी की थी, को गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में प्रतिवेदित करते हुए नियम विरुद्ध में उषा मार्टिन, प्रा० लि० को कोयला उत्खनन के लिए आवंटित करने, कठौतिया कोल माईन्स में बंदोबस्त भूमि की बिक्री में CNT की धारा 49 का उल्लंघन करने आदि से संबंधित कुल 04(चार) आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 6597, दिनांक- 29.07.2016 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 172, दिनांक- 14.12.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी 04(चार) आरोपों को सही प्रतीत नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

साथ ही प्रतिवेदित है कि इस पूरे प्रकरण में आरोपी का दोष सिर्फ इतना ही परिलक्षित होता है कि पूर्व से हस्तलिखित एवं निचले स्तर से उपायुक्त स्तर तक के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक स्लीप, जाँच प्रतिवेदन एवं खेसरा प्रपत्र जिसमें 82.26 एकड़ गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि को गैरमजरूआ भूमि दर्शायी गयी थी, की Computerised Copy पर आरोपी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, जो एक Bonafide Mistake प्रतीत होता है ।

4. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 1756(HRMS), दिनांक- 15.04.2019 के द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

5. उपर्युक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(C) No- 2485/2019 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

6. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 22.07.2024 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-1756(HRMS), दिनांक- 15.04.2019 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उक्त मामले को प्रतिवादी संख्या-03(संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) को वापस किया गया है तथा प्रासंगिक मामले में पुनः नये सिरे से नोटिस निर्गत करते हुए नियमानुसार निर्णय लेने का निदेश दिया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"-----6. In the present case, the Respondent No. 3- Joint Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa, Government of Jharkhand has disagreed with the conclusion and findings arrived at by the Inquiry Officer and has imposed punishment upon the petitioner, as discussed hereinabove. In view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Punjab National Bank and others (Supra), the Respondent No. 3 before recording its disagreement with the report of the Inquiry Officer and recording his ultimate findings, ought to have given an opportunity to the petitioner to represent by issuing notice to him. In the case of Punjab National Bank and others (Supra), the Supreme Court has further held that the principles of natural justice are required to be complied with by the Disciplinary Authority in the event he intends to differ with the findings of the Enquiry Officer.

7. In view of the settled principle of law, as laid down by the Hon'ble Supreme Court in the series of decisions, the order of the Respondent No. 3 - Joint Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa, Government of Jharkhand withholding two increments of the petitioner with cumulative effect by resolution no. 1756 dated 15.04.2019 (Annexure-8) is contrary to the settled principle of law. Accordingly, it is quashed. The matter is remitted back to the Respondent No. 3 - Joint Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasa, Government of Jharkhand to take a fresh decision in accordance with law after issuing fresh notice to the petitioner by giving him an opportunity to appear and explain his case.

8. This writ application is allowed with the aforesaid observation. Pending I.A., if any, stands disposed of. "

7. W.P.(C) No- 2485/2019 आलोक कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-22.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत निम्न कारणों के आधार विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमति प्रतिवेदित किया गया:-

(क) संचालन पदाधिकारी के उक्त जांच प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत मामले में गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि को गैर मजरूआ परती कदीम (सरकारी भूमि) दिखाकर मे० उषा मार्टिन प्रा०लि० के पक्ष में कोयला उत्खनन के लिए आवंटित किया गया। उक्त प्रशासनिक चूक का प्रारंभ, आरोपी पदाधिकारी श्री आलोक कुमार के पदस्थापन के पूर्व ही हो चुका था। श्री कुमार ने दिनांक- 23.12.2010 को पड़वा अंचल में योगदान दिया था तथा दिनांक- 31.08.2013 तक पदस्थापित रहे। इसी प्रकार अंचल अधिकारी, पाटन में भी दिनांक-31.01.2012 से 05.09.2012 तक पदस्थापित रहे थे ।

(ख) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 1817/रा०, दिनांक- 30.04.2015 से स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition(Civil) 202/1995 में पारित आदेश के आलोक में Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी इत्यादि) के गैर वानिकी अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है ।

(ग) यह बात सही है कि श्री कुमार के द्वारा चेक स्लीप, जांच प्रतिवेदन एवं खेसरा प्रपत्र के Computerised Copy पर हस्ताक्षर, जिला मुख्यालय में ही किया गया एवं अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल कार्यालय नहीं भेजी गयी थी। श्री कुमार के द्वारा Computerised Copy पर हस्ताक्षर दिनांक- 04.05.2011 को किया गया है, उनके पास हस्ताक्षर करने के पूर्व पर्याप्त समय एवं अवसर था। उक्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने के पूर्व स्थल निरीक्षण करते हुए खेसरा प्रपत्र की जाँच कार्यालय में उपलब्ध विगत सर्वे खतियान से कर लेना चाहिए था ।

(घ) गुगल से प्राप्त मैप से स्पष्ट होता है कि पाटन प्रखंड से गाड़ीखास गाँव की दूरी मात्र 14 कि.मी. है एवं कठौतिया की दूरी 35.02 कि.मी. है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ही कम समय में आवंटित की जाने वाली भूमि का स्थल निरीक्षण किया जा सकता था ।

(ङ) श्री कुमार का उक्त प्रशासनिक चूक की बजह से गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि (रकबा- 82.76 एकड़) का आवंटन नियम विरुद्ध प्रक्रिया से हो गया ।

(च) आयुक्त के कार्यालय के पत्रांक- 1595 दिनांक- 02.11.2010 के द्वारा छः बिन्दुओं पर त्रुटि का निराकरण करने हेतु अभिलेख वापस किये जाने पर इसे अंचल कार्यालय को नहीं भेजते हुए सीधे अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला स्तर से ही निराकरण की औपचारिकता निभायी गयी है। पूर्व में अनुशंसित चेक स्लिप की कंडिका-7, 8 एवं 9 में भिन्न प्रविष्टियाँ दर्ज करते हुए अनुशंसा की गयी है ।

8. विभागीय पत्रांक- 5759 दिनांक- 09.09.2024 के द्वारा उपर्युक्त असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए उनके विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी ।

9. श्री कुमार के द्वारा पत्रांक 2655, दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-22.07.2024 को पारित न्यायादेश के समीक्षोपरांत पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं Explain करने हेतु विभागीय पत्रांक- 8001, दिनांक- 10.12.2024 के द्वारा श्री कुमार को निदेशित किया गया ।

10. विभागीय पत्रांक- 8001, दिनांक- 10.12.2024 के क्रम में श्री कुमार के द्वारा दिनांक- 07.01.2025 को संयुक्त सचिव के समक्ष अपना पक्ष रखा गया। श्री कुमार के द्वारा समर्पित पक्ष में अंकित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(क) श्री कुमार के द्वारा विभाग द्वारा अंकित असहमति के बिन्दु के संबंध में कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किया गया है ।

(ख) श्री कुमार के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा Computer प्रति पर हस्ताक्षर किया गया है। उनके द्वारा हस्ताक्षर करने के पूर्व मामले से संबंधित अभिलेखों की जाँच संबंधित खतियान एवं अन्य अभिलेख आदि से किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

(ग) चूँकि आप अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे, अतएव उन्हें संबंधित अभिलेखों एवं स्थलों की जाँच कर ही संबंधित प्रति पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए था। यदि उस समय उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता तो इस नियम विरुद्ध कार्य को रोका जा सकता था ।

(घ) श्री कुमार के द्वारा प्रासंगिक मामले में पूर्ववर्ती पदाधिकारी को दोषी ठहराने की कोशिश की गयी है, परन्तु उनके द्वारा भी बिना कागजातों एवं स्थल की जाँच किये ही Computer प्रति पर हस्ताक्षर किया गया है, अतएव इस मामले में आपकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

(ड) इस प्रकार बिना कागजातों एवं स्थल की जाँच किये ही Computer प्रति पर हस्ताक्षर किया जाना उनके कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है तथा एक पदाधिकारी के कर्तव्यनिष्ठ आचरण के विपरीत है।

11. समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-1756(HRMS), दिनांक- 15.04.2019 को विलोपित करने तथा श्री आलोक कुमार के द्वारा दिनांक- 07.01.2025 को समर्पित पक्ष को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित करने के बिंदु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

12. उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या- 29187(HRMS), दिनांक- 27.02.2025 के द्वारा श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-832/03) के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड से संबंधित विभागीय संकल्प सं०-1756(HRMS), दिनांक- 15.04.2019 को विलोपित किया गया।

साथ ही विभागीय पत्रांक-1163, दिनांक-27.02.2025 के द्वारा श्री कुमार द्वारा दिनांक- 07.01.2025 को समर्पित पक्ष को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्तावित झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से 02(दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड के बिन्दु पर उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

13. विभागीय पत्रांक-1163, दिनांक-27.02.2025 के क्रम में श्री कुमार के द्वारा पत्रांक- 477, दिनांक- 10.03.2025 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में मुख्यतः निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया गया है:-

(क) विषयगत मामला मेरे अंचल अधिकारी पण्डवा के रूप में पदस्थापन के पूर्व का है। पूरा भू-हस्तांतरण के सभी अभिलेख मेरे पदभार ग्रहण के पूर्व ही पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर (डाल्टेनगंज) को प्रेषित किया जा चुका था। ज्ञात हो कि मेरा प्रभार ग्रहण दिनांक- 23.12.2010 को हुआ है।

(ख) विभागीय जाँच एवं कार्रवाई में मुझे चारों आरोपों से पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है। मेरे विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

(ग) खसरा पंजी की Computerised Copy प्रति तो इस पूरे प्रकरण में "मूल हस्तलिखित तथा संधारित अभिलेखों का भाग ही नहीं था। साथ ही सभी चार आरोपों में भी Computerised Copy का उल्लेख नहीं है। तो फिर कैसे एवं किन परिस्थिति में इसे विभागीय कार्यवाही का भाग बना दिया गया।

(घ) सभी अभिलेखों के पृ० सं० 12 में आदेश पत्रक के कंडिका-3 में उपायुक्त, पलामू तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू ने स्पष्ट रूप से Certify किया गया है कि Computerised Copy "Attested- Counter signed (अभिप्रमाणित एवं प्रतिहस्ताक्षरित) है, जो पूर्व में ही हस्तलिखित मूल रूप में तैयार किये गये कागजातों की अतिरिक्त प्रतियाँ मात्र हैं। दुर्भाग्य से इसे मेरे

माथे मढ़ दिया गया है, जबकि Original Copies देखकर कोई भी व्यक्ति Attested या Attested-Counter signed करते रहे हैं। यह सभी जगह एवं सभी कार्यालयों में प्रचलित प्रथा है, जो नियमानुसार सही भी है।

(ड) विभागीय पत्रांक- 1163, दिनांक- 27.02.2025 की कंडिका-9 (क), (ख), (ग) (घ) एवं (ङ) पर उल्लेखित कथन तो विभागीय कार्यवाही के चार आरोपों का अंश भाग एवं हिस्सा है ही नहीं। ये तो पुनः नये सिरे से बिना तथ्य का कथन मात्र है।

(च) श्री कुमार के द्वारा अंकित किया गया है कि -

(A) (a) Article 20 of the Indian Constitution protects people from being convicted of crimes without just cause. It also protects people from being punished more than once for the same crime (कृपया विभागीय संकल्प सं०-29187 (HRMS) दिनांक 27.02.2025 में लगाये गये मेरे विरुद्ध चार (04) आरोप विलोपित किये जाने के बाद पुनः पूराने मामले में पुनः आरोपी बनाकर चौथी बार (04) द्वितीय कारण पृच्छा किया गया है, कृपया दृष्टव्य।)

(b) Article 20 (2) says: "No one can be tried and punished more than once for the same crime. This is known as double jeopardy principle".

(B) Section 300 (2) of the Code of Criminal Procedure (CPC) States that a person can be tried again for a Separate offense if the State Government consents. Conditions of retrial:-

(i) The Separate offense must be based on an act that could have been charged against the person during the previous trial.

(ii) A person who has been convicted or acquitted of an offense cannot be tried again for the same offense. The is known the principle of "AUTREFOIS ACQUIT."

(छ) मेरा पुराना मामला है, जो उपरोक्त प्रावधानों/नियमों/कानूनों से अच्छादित है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व के दो (02) संकल्पों सं०-897 (HRMS) दिनांक 29.01.2021 एवं सं०- 1756 (HRMS) दिनांक 15.04.2019 में अधिरोपित दण्ड को Quashed करते हुए मेरे पैरावार प्रार्थना (Parawise Prayer) को Allow किया गया है।

14. श्री कुमार के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि उनके द्वारा विभाग के द्वारा समीक्षा में अंकित बिन्दुओं के संबंध में कोई ठोस तथ्य समर्पित नहीं किया गया। श्री कुमार के द्वारा कागजातों को प्रतिहस्ताक्षरित करने से पहले स्थल का निरीक्षण करने तथा संबंधित खतियान आदि अभिलेखों से संबंधित कागजातों को सही तरीके से मिलान करने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। श्री कुमार के द्वारा पूर्व में अंकित तथ्यों को ही दुहराया गया है।

15. अतः समीक्षोपरान्त, श्री कुमार के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए श्री आलोक कुमार, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक- 832/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री आलोक कुमार, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALOK KUMAR JHK/JAS/06	श्री कुमार के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए श्री आलोक कुमार, झांप्र०से०(कोटि क्रमांक- 832/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
